न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।
अंगारघाट थाना काण्ड सं0 16/21, **कम्पयूटर निबंधन सं0 232/21**

8.6.21 आवेदक **1.बिजली पासवान, पिता–स्व0 सागर पासवान, ग्राम–हरपुर रेवाड़ी, टोला–खेखर, थाना–अंगारघाट, जिला–समस्तीपुर,** जो अंगारघाट थाना काण्ड सं0 16/21, धारा–30(a), 41(i)(ii) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 14.3.21 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार पाण्डेय के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उनका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उनके विरूद्व नही बनती है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दि0 14.3.21 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए। आवेदक की ओर से ऑनलाईन नवीन वकालतनामा साथ आवेदक की पत्नी ललिता देवी की ओर से अधिवक्ता बदलने के संबध में एक शपथ–पत्र ऑनलाईन दाखिल किया गया।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–30(a), 41(i)(ii) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के घर से कुल 20.00 लीटर देशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्व अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 14.3..21 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1.बिजली पासवान को** मो0 10,000/–रू0(दस हजार)रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कोविड–19 महामारी के लाकडाउन के कारण प्रतिभूति, व्यक्तिगत उपस्थित न होकर स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ इस आशय का वचन पत्र देगा, कि वह आवेदक अभियुक्त का जमानतदार होना स्वीकार करता है और लाकडाउन अवधि समाप्त होने के 10 दिनो के अन्दर–अन्दर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बंद्य–पत्र को सम्पुष्ट करेगा। प्रतिभूति, अपनी जायदाद के कागजात के साथ अभियुक्त का नाम, पता, केस नम्बर, और अभियुक्त से अपने संबंध का उल्लेख रहेगा, के साथ Virtual Hearing Facilitator Apps.पर डालेगा। साथ ही अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

(लेखापित)

वि0न्या0उत्पाद